न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

1- **Appeal 223 RTA 2018-069 (GCMS 2018-00208)**

1. समन्दरसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
2. किशनसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपूत
3. लिक्ष्मणसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपूत
4. प्रेमसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
5. राजूसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
6. उदयसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
7. पन्नेसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
8. नरपतसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत
9. उम्मेदसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत
10. भंवरसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति राजपूत
11. भूरसिंह पुत्र राजूसिंह जाति राजपूत
12. ओमवीरसिंह पुत्र राजूसिंह जाति राजपूत
13. रतनसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत
14. महेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत
15. भोमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत
16. करणसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत
17. दुर्गसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत
18. लालसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत

निवासीगण ग्राम चाडी, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. हरीराम उर्फ हराराम पुत्र लाखाराम जाति मेघवाल निवासी चाडी हाल ग्राम भोजासर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फलोदी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 30 अप्रेल 2018 राजस्व वाद संख्या 87/2015 हरीराम बनाम राजस्थान सरकार

------- 0 -------

27.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-

श्री प्रहलादसिंह भाटी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2

2- **Appeal 223 RTA 2018-146 (GCMS 2018-00351)**

1. केशाराम पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल
2. श्रीमती गैरादेवी पत्नी कोजाराम जाति मेघवाल
3. कुसुम्बी पुत्री कोजाराम जाति मेघवाल
4. प्रकाशचन्द पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल

सभी निवासी ग्राम भोजासर, तहसील फलोदी
हाल निवासी फुलासर छोटा, तहसील कोलायत,
जिला बीकानेर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. हरीराम उर्फ हराराम पुत्र लाखाराम जाति मेघवाल
   निवासी चाडी हाल ग्राम भोजासर,
   तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
2. समन्दरसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
3. किशनसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपूत
4. लिक्ष्मणसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपूत
5. प्रेमसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
6. राजूसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
7. उदयसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
8. पन्नेसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
9. नरपतसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत
10. उम्मेदसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत
11. भंवरसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति राजपूत
12. भूरसिंह पुत्र राजूसिंह जाति राजपूत
13. ओमवीरसिंह पुत्र राजूसिंह जाति राजपूत
14. रतनसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत
15. महेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत
16. भोमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत
17. करणसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत
18. दुर्गसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत
19. लालसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत
20. मानसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति राजपूत

27.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

21. भोमसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपूत
निवासीगण ग्राम चाडी, तहसील बापिणी,
जिला जोधपुर
22. राजस्थान राज्य
जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 30 अप्रेल 2018 राजस्व वाद संख्या 87/2015 हरीराम बनाम राजस्थान सरकार

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री कैलाशसिंह भाटी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री प्रहलादसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2 से 21
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 22
रेस्पो. संख्या एक की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं

नि र्ण य

दिनांक : 27 सितम्बर 2023

यह दोनों अपीलें न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 87/2015 हरीराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 अप्रेल 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

अपीलाण्ट्स समन्दरसिंह इत्यादि की ओर से दिनांक 20 जून 2018 को प्रस्तुत अपील संख्या अपील 2018-069 (GCMS 2018-00208) के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपीलाण्ट्स को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार अपीलाण्ट्स केशराराम इत्यादि की ओर से दिनांक 10 सितम्बर 2018 को प्रस्तुत अपील संख्या 2018-146 (GCMS 2018-00351) के साथ

27.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपीलाण्ट्स को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु पेश किया गया और साथ ही एक अन्य प्रार्थनापत्र भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

संक्षेप में प्रकरण से संबंधित विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक हरीराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम कृष्णनगर (पूर्व राजस्व ग्राम चाडी) स्थित आराजी खसरा संख्या 1560 रकबा 57 बीघा 11 बिस्वा बारानी दोयम के संबंध में प्रस्तुत किया, जिसका प्रतिवादी-रेस्पो. राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब पेश करने की बजाय जाहिर किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में तहसीलदार द्वारा म्युटेशन संख्या 1021 व 1027 बताकर वादग्रस्त भूमि बेनामी होने से राजकीय भूमि घोषित किये जाने का निवेदन किया हुआ है, उसे ही इस वाद का जवाब माना जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 अप्रेल 2018 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता श्री प्रहलादसिंह भाटी, जो कि अपील संख्या अपील 2018-069 (GCMS 2018-00208) में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स तथा अपील संख्या 2018-146 (GCMS 2018-00351) में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2 से 21 है, ने मामले के तथ्यों एवं अपील मीमो तथा अपनी लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट्स के पूर्वजों का वक्त सेटलमेण्ट से निरन्तर

27-9-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु वक्त सेटलमेण्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलाण्ट्स अथवा उनके पूर्वजों को सूचित किये बिना ही विधिविरुद्ध ढंग से वादग्रस्त आराजी लाखाराम के नाम दर्ज कर दी गयी, जिसकी समुचित समय में अपीलाण्ट्स व उनके पूर्वजों को जानकारी नहीं रही। लाखाराम अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से उसके नाम दर्ज प्रविष्टि को बदलवाने के लिहाज से मानसिंह उर्फ मानाराम पुत्र सुमेरा उर्फ समुन्दसिंह व भोमाराम उर्फ भोमसिंह पुत्र बागा उर्फ बागसिंह के पक्ष में एक पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 11 फरवरी 1986 को निष्पादित करवाया और उसके आधार पर अपीलाण्ट्स के हक-हकूक की वादग्रस्त भूमि केतागण हडपना चाहते है। चूंकि उक्त बेचाननामा पर स्वयं वादी-रेस्पो. संख्या एक हरीराम उर्फ हरुराम पुत्र लाखाराम के बतौर गवाह हस्ताक्षर है, अतः विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आलौच्य वाद के माध्यम से वादी-रेस्पो. वादग्रस्त आराजी बाबत किसी प्रकार के हक-हकूक क्लेम करने का अधिकारी नहीं है। वस्तुतः ग्राम चाडी में वक्त सेटलमेण्ट लाखाराम नामक कोई न तो व्यक्ति था और न ही वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, प्रतिवादी राज्य सरकार से विधिवत जबाब प्राप्त कर तनकियात कायम किये बिना, पक्षकारा की समुचित साक्ष्य सुनवाई किये बिना ही पारित किये गये है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलाण्ट्स समन्दरसिंह इत्यादि की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 2018-069 (GCMS 2018-00208) स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। साथ ही अपील संख्या 2018-146 (GCMS 2018-00351) मियाद बाधित एवं अधिकारविहीन होने से खारिज की जावे।

27.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील संख्या 2018-069 (GCMS 2018-00208) के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और अपील खारिज करने का निवेदन करते हुए कथन किया कि वक्त सेटलेण्ट वादग्रस्त आराजी पर लाखा पुत्र प्रभु का कब्जा काश्त होने के कारण ही सेटलमेण्ट विभाग द्वारा उसके हक में पर्चा लगान जारी किया गया, जिसकी पुष्टि राजस्व रिकार्ड से भी होती है। राज्य सरकार की ओर से विधिवत कोई जबाब दावा पेश नहीं किया गया, अतः निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार तनकियात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं रही है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से प्रस्तुत दावा अखण्डित रहने से उसे स्वीकार करने में विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं की गयी है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

अपील संख्या 2018-146 (GCMS 2018-00351) के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स श्री कैलाशसिंह भाटी ने मामले के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित विन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार लाखाराम के दो पुत्र कोजाराम एवं हस्राम उर्फ हरीराम हुए, जिनका वादग्रस्त आराजी में बराबर-बराबर हक-हिस्सा पुश्तैनी आधार पर बनता है, इनमें से कोजाराम के वारिसान अपीलाण्ट्स है, अतः कोजाराम के देहान्त के बाद उनके हिस्से की भूमि बाबत अपीलाण्ट्स को अधिकार अर्जित हो जाते है, किन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी-रेस्पो. संख्या एक हरीराम द्वारा अपीलाण्ट्स को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अतः प्रस्तुत वाद एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी बाबत वादी-रेस्पो.

27-9-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हरीराम का कभी भी राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार नाम दर्ज नहीं हुआ, इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी खारिज किये जाने योग्य है। वक्त सेटलमेण्ट के वादग्रस्त आराजी बाबत रेस्पो. संख्या 2 से 21 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है, मौके पर वादी-रेस्पो. संख्या एक का कब्जा भी पटवारी हळका की रिपोर्ट के प्रमाणित नहीं होता है। किन्तु वादी-रेस्पो. संख्या एक ने विचारण न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए दावा पेश कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करवा लिये गये। जो खारिज किये जावे एवं अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अपील संख्या 2018-146 (GCMS 2018-00351) के संबंध में अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि पुश्तैनी आधार पर वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट्स के हक-हकूक निहित होने से आलौच्य मामले में अनिवार्य पक्षकार होते हुए भी मूल वाद में उन्हें पक्षकार संयोजित किये बिना एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये, जिसकी समुचित समय में अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 18 जुलाई 2018 को पटवारी द्वारा टेलिफोन पर सूचित किये जाने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को भान हुआ और अपीलण्ट्स ने अदालत हाजा में विचाराधीन अपील संख्या 69/2018 समन्दरसिंह बनाम हरीराम आदि में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया तथा विचारण न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की नकलें प्राप्त कर जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील की अनुमति प्रदान

27.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की जावे और धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

दोनों अपीलों के संबंध में रेस्पो. संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपील के साथ धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की ताईद में अपीलाण्ट्स की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अथवा आधार प्रकट नहीं किया गया है जिससे अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार सिद्ध होते हो। अतः उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किया जाता है एवं तदनुरूप अपील संख्या 2018-069 (GCMS 2018-00208) चलने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

अपील संख्या 2018-146 (GCMS 2018-00351) के संबंध की गयी बहस पर मनन करने एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी संवत 2038-2041 में लाखाराम के नाम दर्ज होना प्रकट होता है, अपील में अंकित खसरा खानदान (जिसका खण्डन नहीं किया गया है) के अनुसार अपीलाण्ट्स लाखाराम के पुत्र कोजाराम के वारिस है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार प्रतीत होते है, अतः धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार

27.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाकर अपीलाण्ट्स को आलौच्य अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

चूंकि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स पक्षकार संयोजित नहीं किये गये, इस कारण विचारण न्यायालय में वाद की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की बहस पर विश्वास करते हुए अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि -

1. विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में वादग्रस्त आराजी से संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है।
2. विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मूल का विविधत कोई जबाब प्रतिवादी-रेस्पो. राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ, बल्कि सरकारी पैरोकार की ओर से जाहिर किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में तहसीलदार द्वारा म्युटेशन संख्या 1021 व 1027 बताकर वादग्रस्त भूमि बेनामी होने से राजकीय भूमि घोषित किये जाने का निवेदन किया हुआ है। इसको ही विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त मान लिया गया, किन्तु किसी प्रकार की कोई तनकी कायम नहीं की गयी और सरसरी कार्यवाही करते हुए तथा समुचित साक्ष्य सबूत प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये

27.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गये, जो किसी भी दृष्टिकोण से स्पीकिंग ज्युडिशियल आर्डर की श्रेणी में नहीं आते है।

अतः अपीलाण्ड्स केशराराम इत्यादि की ओर से प्रस्तुत **अपील संख्या 2018-146 (GCMS 2018-00351) आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 अप्रेल 2018 अपास्त किये जाते है** तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मूल वाद में अपीलाण्ड्स एवं वादग्रस्त आराजी बाबत अन्य सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित करते हुए राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादीगण को जबाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे और आवश्यकतानुसार तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन एवं विश्लेषण सहित तनकीवार निष्कर्ष सहित निर्णय पारित करते हुए मूल वाद का न्यायोचित निस्तारण किया जावे। साथ ही अपीलाण्ड्स समन्दरसिंह इत्यादि की ओर से प्रस्तुत **अपील संख्या 2018-069 (GCMS 2018-00208) चलने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज** की जाती है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27-9-23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर